पटना, जागरण ब्यूरो : सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है समूह ग व घ पदों पर होने वाली बहाली में पूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकार के स्तर पर यह आदेश जारी है कि राज्य सरकार के अधीन समूह ग व घ के रिक्त पदों के विरुद्ध होने वाली नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाये। इसके बावजूद यह सूचना मिल रही है कि विभिन्न महकमों द्वारा समूह ग व घ पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं उनमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में भूतपूर्व सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार ने इस बारे में नीतिगत फैसला लिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को यह निर्देश जारी किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत नियुक्ति पदाधिकारियों को यह हिदायत दें कि समूह ग व घ पद पर होने वाली नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख नियुक्ति को ले प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में अनिवार्य रूप से किया जाये। समूह ग व घ के पदों पर नौकरी में पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता

इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति